न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/84 /2019

1. रामदेव पुत्र शिवराज जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी

(वादी)

बनाम

1. बन्नालाल पुत्र बालू जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, भिनाय जिला केकडी

(प्रतिवादीगण)

4. गोरी पत्नि श्योजी जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
5. तेजु पुत्र बालु जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
6. प्रहलाद पुत्र श्योजी जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
7. बन्नी पुत्री श्योजी जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
8. रतन पुत्र श्योजी जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
9. राधा पत्नि सुरजकरण जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
10. रामधन पुत्र श्योजी जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
11. लाली पुत्री श्योजी जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
12. संतोक पत्नि शिवराज जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी
13. हनुमान पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला केकडी

(प्रफोर्मा प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी • भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. वकील वादी श्री देवकान्त व्यास
2. वकील प्रतिवादी श्री धर्मवीर बामनिया
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 22.05.2024

वादी ने इस वाद प्रत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू.अ.नि.कनेईकलां तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 318 में दर्ज खसरा नं. 130 रकबा 0.50, 131 रकबा 0.03, 132 रकबा 0.28, 133 रकबा 1.09, 133/3133 रकबा 0.23, 133/3134 रकबा 0.78, 184 रकबा 1.15, 185 रकबा 0.84, 185/3135 रकबा 0.69 है0 किता– 9 रकबा 5.59 है0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहें हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादिया सं. 1 का 1/6, एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4, 6, 7, 8, 10 ,11 का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 5 का 1/6 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 9, 12, 13 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

CS CamScanner

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त संयुक्त आराजीयात में अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 का विधिवत विभाजन कर अलग–अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 ने उक्त वाद पत्र के सन्दर्भ में समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी जवाब पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 का जवाब हक बन्द किया गया। पैरोकार सरकार ने वाद पत्र पर जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक कथनानुसार अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 की संयुक्त आराजीयात हैं। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से राजहित प्रभावित नहीं होता हैं अतः उक्त आराजीयात में रिकॉर्ड अनुसार दर्ज खातेदारान के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाना न्यायोचित बताया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन किया जाकर उपस्थित पक्षकारान के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आनुतोष योग्य न्यायसंगत होना पाया गया। वादी के वाद पत्र अनुसार प्रश्नगत आराजीयात में वादी का हक हिस्सा निहित होने के आधार पर वाद पत्र स्वीकृत योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 13 के मध्य ग्राम बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू.अ.नि.कनेईकलां तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 318 में दर्ज खसरा नं. 130 रकबा 0.50, 131 रकबा 0.03, 132 रकबा 0.28, 133 रकबा 1.09, 133/3133 रकबा 0.23, 133/3134 रकबा 0.78, 184 रकबा 1.15, 185 रकबा 0.84, 185/3135 रकबा 0.69 है0 किता– 9 रकबा 5.59 है0 में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादिया सं. 1 का 1/6, एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 4, 6, 7, 8, 10 ,11 का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 5 का 1/6 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 9, 12, 13 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा अनुसार भूमि का मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर उक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करने की प्राथमिक डिक्री कायम की जाती हैं। यथानुसार तहसीलदार भिनाय राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम की धारा 18 से 21 के प्रावधानानुसार बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनांक तक प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

CamScanner